मोटर दुर्घटना दावा प्र. क्र. 64/25

गवाह नम्बर......02......की........आवेदिका साक्षी क्र. 01.............से शहादत आज तारीख.....05/08/2026........को ली गई । गवाह करीब.....43.....वर्ष की उम्र का मालूम होता है ।

हलफ से कथन करता हूँ । मेरा नाम.....................रामअवतार ....
पिता...स्व. श्री सुखलाल..............पेशा............................कृषि.................................
पता...ग्राम बिशुनपुर भट्ठीपारा, थाना चरचा, जिला कोरिया छ.ग. ....

//मुख्य परीक्षण द्वारा श्री संतोष राजवाड़े, अधिवक्ता वास्ते आवेदिका साक्षी/ /

1. घटना दिनांक 08.10.2025 की है । दिनांक 08.10.2025 को नरेश कुमार एवं विरेन्द्र चरचा से अपनी मोटरसाईकिल से बिशुनपुर आ रहा थे कि बिशुनपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंचे थे वही उसकी मोटरसाईकिल की टक्कर ट्रक से हो गई थी जिससे विरेन्द्र एवं नरेश को गंभीर चोट आने से उनकी मृत्यु हो गई थी । घटना के संबंध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर बयान लिया था ।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह, अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 //

2. यह कहना सही है कि दुर्घटना में मृतक विरेन्द्र मेरा भतीजा था और नरेश ग्राम बसदेई जिला सूरजपुर का रहने वाला था । यह कहना सही है कि घटना के समय मैं घटनास्थल पर नहीं पहुंचा था । यह कहना सही है कि मैं घटनास्थल पर बाद में पहुंचा था । यह कहना सही है कि मुझे वहां घटनास्थल पर पता चला कि मृतकगण ट्रक के पिछले हिस्से में टकराकर गंभीर रूप से आहत हुये थे जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी ।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आशीष गुप्ता, अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 03//

3. यह कहना सही है कि मैंने स्वतः दुर्घटना घटित होते हुये नहीं देखा था । यह कहना सही है कि दुर्घटना कैसे हुई,किसकी गलती से हुई,मैं नहीं बता सकता हॅू।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया ।
सही/–
(योगेश पारीक)
प्रधान मो.दु.दा. अधिकरण
बैकुन्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)

मेरे निर्देश में टंकित ।
सही/–
(योगेश पारीक)
प्रधान मो.दु.दा. अधिकरण
बैकुन्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)

गवाह के हस्ताक्षर